



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228643
CG-DL-E-31072021-228643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2858]
No. 2858]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3080 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
608	344जी	रार-344 (सहारनपुर बाईपास) के पास अपने जंक्शन से शुरू होकर लतीफपुर गांव के पास देवबंध, मनिहारन, रामपुर, बुनत, थाना भवन, बुढाना, बड़ौत, तातिरी को जोड़ने वाला और उत्तर प्रदेश राज्य में खेकरा के पास एनई 2 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
609	344बीजी	हलगोया गांव के पास रारा-344 जी के नजदीक अपने जंक्शन से शुरू होकर उत्तर प्रदेश

		राज्य में बेसड़ा, साधरण सर और उत्तराखंड राज्य में इकबालपुर, कामेलपुर, रुड़की, पिरान कलियार को जोड़ने वाला और बधेरी राजपूतन गांव के पास रारा-334 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
--	--	--

[फा. सं. एनएच-14012/14/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2980(अ), दिनांकित 28.07.2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 3080(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
608	344G	The highway starting from its junction with NH-344 (Saharanpur Bypass) near Latifpur Village connecting Deobandh, Maniharan, Rampur, Bunat, Thana Bhawan, Budhana, Baraut, Tatiri, and terminating at its Junction with NE 2 near Khekra in the State of Uttar Pradesh.
609	344BG	The highway starting from its junction with NH- 344G near Halgoya Village connecting Baseda, Sadharan Sir in the state of Uttar Pradesh Iqbalpur, Kamelpur, Roorkee, Piran Kaliyar and terminating at its junction with NH-334 near Badheri Rajputan village in the State of Uttarakhand.

[F. No. NH-14012/14/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2980 (E), dated 28th July, 2021.